

(188)

JSA

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रीवा मध्यप्रदेश**—:विविध-आदेश:—****(कार्य-विभाजन में संशोधन क्र०-08)**क्रमांक.....15...../
दो-1-1/2000

रीवा, दिनांक 31/01/2024

माननीय उच्च न्यायालय के आदेश क्रमांक-43/Confdl./2024/II-2-1/2024, जबलपुर दिनांक 26/01/2024 के द्वारा श्रीमती प्रीतिशिखा अग्निहोत्री चतुर्थ व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड रीवा की पदोन्नती षष्ठम जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश रीवा के पद पर होने तथा उनके स्थान पर किसी अन्य न्यायाधीश की पदस्थापना न होने के फलस्वरूप मध्यप्रदेश व्यवहार न्यायालय अधिनियम 1958 की धारा-15 व 21 (4) तथा मध्यप्रदेश सिविल न्यायालय (संशोधन) अधिनियम 2011 के परिप्रेक्ष्य में एवं दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा-10 की उपधारा-2 एवं 3 के अंतर्गत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए पूर्व में प्रसारित सिविल एवं आपराधिक कार्य विभाजन आदेश क्रमांक-216/दो-1-1/2000 दिनांक 17 मई 2023 को निम्नानुसार संशोधित किया जाता है, यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा:-

1. सरल क्रमांक-25 के स्तम्भ क्रमांक-2 में "चतुर्थ व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड रीवा" के नाम के आगे "रिक्त न्यायालय" लेख करते हुए स्तम्भ क्रमांक-03 एवं 04 को पूर्णतः विलोपित किया जाता है।
2. सरल क्रमांक-28 के स्तम्भ क्रमांक-04 की कंडिका 06 के पश्चात् कंडिका 07 एवं 08 निर्मित करते हुए निम्नलिखित इबारत जोड़ी जाती है:-

क्र.	न्यायालय का प्रकार	प्रादेशिक अधिकार	वादों का प्रकार
28.	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड रीवा के न्यायालय के चतुर्थ अतिरिक्त न्यायाधीश।	सिविल खण्ड	7. माह मई एवं जून में रुपये 05 लाख से अधिक और रुपये 01 करोड़ से अनाधिक मूल्य के सभी प्रकार के व्यवहार वाद एवं उनके उद्भूत होने वाले निष्पादन एवं विधि प्रकरण। 8. माह मई एवं जून में भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम भाग-10 के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाले सभी प्रकार के प्रकरण।

2. परिशिष्ट-अ की कंडिका 22 लगायत 24 एवं 45 को विलोपित कर निम्नानुसार पढ़ा जावे:-

क्र.	न्यायालय का नाम	अनुपस्थिति में जो कार्य देखेंगे
22.	द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड रीवा	1. तृतीय व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड रीवा 2. पंचम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड रीवा
23	तृतीय व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड रीवा	1. पंचम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड रीवा 2. प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड रीवा के न्यायालय के प्रथम अतिरिक्त न्यायाधीश रीवा
45	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड सिरमौर	1. तृतीय व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड रीवा 2. प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड रीवा के न्यायालय के प्रथम अतिरिक्त न्यायाधीश रीवा

शेष आदेश यथावत रहेंगे।

(सुबोध कुमार जैन)प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
रीवा (म०प्र०)

रीवा, दिनांक 31/01/2024

पृष्ठांकन क्र०.....529...../
दो-1-1/2000**प्रतिलिपि:-**

1. सिविल जिला रीवा की समस्त न्यायालय रीवा/मउगंज/त्यौथर/सिरमौर/हनुमना/मनगवां।
2. अध्यक्ष, अधिवक्ता संघ रीवा/मउगंज/त्यौथर/सिरमौर/हनुमना/मनगवां। की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
3. सिस्टम ऑफिसर की ओर वेबसाइट में अपलोड किये जाने हेतु सूचनार्थ प्रेषित।
4. कम्प्यूटर ऑपरेटर कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश रीवा को संबंधित न्यायाधीशगण के ई-मेल एड्रेस में भेजने हेतु।
5. फाईलिंग काउंटर रीवा/मउगंज/त्यौथर/सिरमौर/हनुमना/ की ओर आवश्यक कार्यवाही किये जाने हेतु सूचनार्थ प्रेषित।

प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
रीवा (म०प्र०)